

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर.....  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प.....

--: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान की रिपोर्ट तथा तहसीलदार...../नायब तहसीलदार..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	रत्नपुरा	126, 227, 86	रत्नमणी पुरी हामसिंह	रत्नमणी देवी पुरी हामसिंह

( fhar )  
पीठासीन अधिकारी  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, पदेन  
पदेन सहायक कलक्टर,  
जिला-राजसमन्त

क्रमांक :- 125/334

दिनांक :- 10/10/2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनाार्थ।
3. रकित पत्रावली।

( fhar )  
पीठासीन अधिकारी  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, पदेन  
जिला-राजसमन्त